

Z 955

(8)

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 71,73,600.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर - प्रश्नगत मूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन मे कर एवं
निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-कठनि-5-893/ ग्यारह-
2010-500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार
संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सलिंग क्रेता स्टाम्प छायटी से छूट के लिये
पात्र है।

मैं कि श्री अमरपाल पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील
दादरी व जिला गोतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम्

मैसर्स उम्पल चड्ढा हाईटेक डिलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी
नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू
फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

Amarnath


Mr. Umar Chaddha FinTech Developer MCA 212
Authorised Signatory
Umar Chaddha




7123.600.1 10002

2020-100201-600

२४८

एक वर्षीय - १८

କାନ୍ତିର ପଦମୁଖ ହେଉଥିଲା

七
國
圖
書
館

ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିମ୍ବା

12/1/11

Anand 12/1/11

इस सेखपत्र का संशादन एवं इसमे लिखे
जरेवदल मु० १७३६०५ अद्य तुलयात्तर
जिसमे से

~~..... एवं सम्पर्क पाकर उक्त श्री अमृपाल द्वारा उक्ते के
गोपनीयता से भूत्या आला चला हो। इस उक्त विवरण से
शुभ्रिय ३३ अमृपाल द्वारा उक्त विवरण सामग्री का
दायरा विस्तृत पायक ५/१ श्री अमृपाल द्वारा ३३ अमृपाल
से उक्त विवरण के दिवाली के दिन द्वारा~~



(2)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित याम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी न जिला गोपनदुब्ब नगर (उ०प०), कृषि भूमि खाता नं० 299 के खसरा नं० 194 रकबा 0.9300 हेक्टेर पर खसरा नं० 212 रकबा 0.8110 हेक्टेर इस प्रकारकुल रकबा 1.7410 है० का 1/3 मांग 0.560333 है० मे से 0.500 है० का प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतो-नी 1409 1414 सरकारी फरीक अध्यक्ष पूर्णतया रवामी पर विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिघर कागजात दर्ज है, का बैनामा उमा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। गूणि गुच्छ मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिघरी की भूमि है। जिराका सरकारी सर्किल रेट 85,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने शौदा मिलीय पक्ष से 1,43,47,200/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 71,73,600/- रुपये (इकहत्तर लाख चौहार छः सौ रुपये मात्र) में पर्य है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आश का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि याम समाज, भूदान, वक्फ, पद्दते आदि की तथा निष्कान्ति व रात्रि संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्ताम्य अधिनियम की घास 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतो-नी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह राला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुड़ा फरीक अध्यक्ष (विक्रेता) की ओर से दर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आर, रहन, बय, हिंदू, गठायदावय व जमानत सरकारी व अद्वसरकारी व निजी रूप आदि में उत्ता नहीं



A - 100/100

No. Umpal Chaudhary
Date: 10/01/2018

Authorised Signatory
Anil Kumar

144


नमस्कार श्री गोपाल
नमस्कार श्री जगदिल
गोपी दास वामाचार तदवापी
नमस्कार श्री कृष्ण गोली
नमस्कार श्री वामाचार तदवापी
नमस्कार

सब सजिस्टर राही

17/4/11

गोली

Anandal



गोपी 21/05/2011

साक्षी अले प्रतीक होते हैं विन्ह
अंगुष्ठ नियमानुसार लिखे गए हैं

श्री नियमित
दासरी, गोली 17/4/11

(3)


है। और न उक्त पर कोई लैंक ओण व विजली या अन्य किसी प्रकार का छेंडा है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विनाद-प्रस्तुत पागला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अद्वितीय कार्रवाई विभाग/कार्यालय में न तो वर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वय ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिलिक्यत उक्त के विक्रय में कोई लौष व चुटी नहीं है एवं प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई गौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किगा है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा रात्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अभावी व निष्पभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अचल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 299 के खसरा नं० 184 रकमा 0.9300 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकमा 0.8110 हैक्टे० इस प्रकारकुल रकमा 1.7410 है० का 1/3 भाग 0.580333 है० गे से 0.500 है० स्थित ग्राम चुरियाई परगना। दादरी तहसील व जिला गोरखपुर नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का खतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से गिल रहीं है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व रवस्थ इन्द्रियों की दशा गे अपने गारिवारिक समैंति से अन्य सभस्त्र अधिकार मालिकाना, कांबिजाना, लाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किम तक गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख मैं विक्रय घनराशी अंकन 71,73,600/- रुपये (इकहस्तर लाख तिहस्तर छाँ सौ रुपये गात्र) जिसके आधे अंकन 35,86,800/- (पैंतीस लाख छियाशी छाँ आठ सौ रुपये गात्र) होते है के, एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल वद्वा हाईटूक अवलपर्स प्राप्त लिं० 33 कागूनिटी सेंटर न्यू केन्डस कालौनी नद्दी दिल्ली मैन नंबर AΛΛCU7200M द्वारा



Umesh Chaddha Right Developers Pvt. Ltd.
Authorised Signatory



(4)

श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को वेय कर दिया है यानि कतई बेव दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुद्दा विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कध्या मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काविज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे वहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।


(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागाजात ने कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुद्दा फरीक अवल से करा सकते हैं, मुद्दा फरीक अवल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अब: अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की भिलफियत भूमि में निलिंग हिता व उसके भूत्य धन तथा किसी अंश रो विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अवल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला। हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा। अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुकस आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कध्ये मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अवल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कध्ये से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अवल सम्पत्ति रो जिस प्रकार वाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अवल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Mr. Upad Chakrabarti & Sons Developers Pvt. Ltd
Truly
Subscribed and Verified Standard





(5)

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्च क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और सागर पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीति भूमि रकम 0.500 हैक्टेयर, स्थाना नं० 289 के खसरा नं० 194, 212 स्थित प्राप्त दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय घनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) बैंक ऐक्सेस बैंक लिंग गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 361698 अंकन 71,73,600/- रुपये (इकहत्तर लाख सियत्तर छाँट रुपये मात्र) दिनांकित 17.01.11 फरीक अवल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

Anil Kumar

क्रमांक १
Date १०.०२.२०११ : At : Devalgarh
[Signature]

(हस्ताक्षर/निशाना
फरीक अवल (विक्रेता))

(हस्ताक्षर/निशाना अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं० 1

गोपाल गोपाल
भूमि लाइन नं० ११८८ गोपाल

गवाह नं० 2

विजय कुमार सिंह
भूमि लाइन नं० ११८८ गोपाल

तहरीरी दिनांक-17.01.2011 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद



17/1/11


125
134

3/29

955

✓
17/1/11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 948956

अनुबन्ध पत्र

मैं अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान गाजियाबाद में श्री ३५५२ पाल
पुत्र/पति जगदा० रेण०

मिवासी ग्राम परगना तहसील
व जिला प्रथम पक्ष

एवं

मैं ० उप्पल चढ़ड़ा हाईटैक ड्वलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय ३३ कम्यूनिटी
सेटर न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पुत्र द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम में स्थित भूमि खाता सं० खसरा सं
जिला में रक्त भूमि खाता सं० रक्त भूमि पर हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण माग) का
रौक्रिय मूमिधर मालिक, काविज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविमाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

[Signature]

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से याक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दावरी कार्यालय में बही सं० १ के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की घनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल घनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु०/- द्वारा चैक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य घनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली घनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित घनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष सौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा चैक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये हैं।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त गृभि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसंपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काग आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

प्राप्ति

1.

2.